



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता

Website- <http://pwd.uk.gov.in> E-mail: cepwdchakrata10@rediffmail.com

पत्रांक : 735/15 सी० 4
सेवा में,

दिनांक: 04/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड के ग्राम उदांवा तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वन भूमि का वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/4817/2020) (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

सन्दर्भ:- Online Query on dated 12 Jul 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि प्रकरण पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को जो आपत्ति लगाई गई है उसका निराकरण निम्नवत् कर प्रस्ताव मय साक्ष्यों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	महोदय अवगत कराना है कि, पूर्व में आपके द्वारा मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया था, जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या एम. एल.ए.-109/लो०नि०-1/2001-611(पी.डब्ल्यू.डी.)/2001 दिनांक 29 अक्टूबर 2001 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें पृष्ठ संख्या द्वितीय की प्रथम लाइन पर साफ-साफ निर्देशित किया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर रखी जाये। तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासन का पत्र संलग्न कर पुनः वन भूमि प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(ई० एल.के. गोयल)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।

दिनांक / 08/2023

पत्रांक..... /

प्रतिलिपि:- ई० एस.एस. नेगी, सहायक अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, चकराता को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,
चकराता।



प्रेषक,

चन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून, उत्तरांचल ।

विभाग अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 27 अक्टूबर/2001.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा शासिक में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25 मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विशिष्टियों में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय उपकरण का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रदेश सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कांग्रेस की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20 मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर वर्षा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्टर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अकड़ हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक बन्द रहते हैं और हल्के वाहन मार्ग के निर्माण का सिद्धान्त

अव्यक्त प्रायः हो जाता है। मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95मीटर निर्धारित है। अतः इसके वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पंखाड़ कटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्क्वर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। शोषण कार्य जैसे रिटेनिंग बॉल/ब्रेस्टवाल, नाभी, पैराफिट्स, जिप्सी, डेक्कोमीटर स्टॉन बोनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय भूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है।

4- अतः उक्त समस्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं हो पाती है। साथ ही ग्रासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है। अतः प्राविध्य में

हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का ग्रासन द्वारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हल्का वाहन मार्ग पूर्व में स्वीकृत

हैं, उनपर कार्य प्रारम्भ न किये जाएं बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगंतक प्रस्तुत किये जाएं। जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन हैं, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा प्राविध्य में प्रवेश के समस्त हल्का वाहन मार्गों को वरन्धाबद्ध रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए।

सावदीय,

मुख्य निदेश
अपर सचिव.

संख्या TMLA-109

118/लो.नि.वि.0-1/2001 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सुपार्वीस एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मा.0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल ग्रासन।
- 2- सिजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल ग्रासन।
- 3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव जो.प. निर्माण विभाग, उत्तरांचल ग्रासन।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल ग्रासन।
- 5- आयुक्त मद्रवाल मण्डल, पीडी/आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 6- मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. पीडी/अ.मो.डा।
- 7- समस्त अधीक्षणा अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।
- 8- समस्त अधीक्षणा अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।

3

9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन ।

40- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2

11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Jomil

॥ जी एच जी एच ॥
अनु सचिव.